

NON ENCUMBRANCE

संपत्ति अवभार प्रमाण-पत्र

NEC/अनुसूची 21 प्रपत्र संख्या 113

आवेदन पत्र संख्या 664/2022

प्रमाण पत्र संख्या 280/2022

श्री Harsh Kumar Pandey Adv. ने मेरे पास आवेदन

किया है कि निम्नलिखित

सम्पत्ति के सम्बन्ध में संव्यावाहारों और अवभारों का संविवरण प्रमाण पत्र दिया जाय ।

(आवेदन में दिए गए राज्य के अनुसार विवरण दें)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त सम्पत्ति को प्रभावित करनेवाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में बही में और उससे सम्बन्ध अनुक्रमणियों में ता0 01-01-2009

से ता0 21.03.2022 तक तलाशी की गई और ऐसी

तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों

और अवभारों का पता चला है :-

क्र. संख्या	(क) सम्पत्ति का विवरण	विवरण की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों का नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्रति निदेश		
				निष्पादन	दावेदार	जिल्द संख्या	वर्ष	पृष्ठ

(क) दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें :-

(ख) बंधक की दशा में ब्याज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें । बर्तते कि इसके बारे में उल्लेख हो

(ग) पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें ।

मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त संव्यवहारों को छोड़कर उक्त सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले किसी अन्य संव्यवहारों और अवधारों का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलाषी की प्रमाण पत्र तैयार किया।

प्रमाणित किया जाता है कि निम्न लिखित सम्पत्ति,
 हस्ताक्षर 25/03/2022
 सत्यापन-सूची (नं. 1) दिनांक 01.01.2009 से 24.03.2022
 का प्रमाणित किया है-2 फ्लॉर तलाषी अवधारों की
 हस्त लिपि (आवेदन (अभिलेख) को (नं. 1) 18/03/2022
 पदनाम -
 लिपिक
 मध्य - डी.सी. आर. नं. 331, ए.ए. नं. 119, ए.ए. नं. 366,
 ए.ए. नं. 4.5 ए.ए. नं. 4.5 का अन्तर्गत प्रमाण-पत्र प्राप्त है।
 के तलाषी एवं मालिकाना अधिकारों के अभाव में प्रमाणित किया
 जाता है।

तलाषी का सत्यापन ऋणशर प्रमाण पत्र का

हस्ताक्षर - *Hullalaxmi*
 पदनाम - लिपिक



निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर
 25/03/2022

कार्यालय *Sanjay Mishra Agency*
 लिपिक
 निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर
 25/03/2022

तारीख 25.03.2022

टिप्पणी :- इस प्रमाण पत्र में और संव्यवहारों और अवधार दिखाये गये हैं। वे आवेदक द्वारा यथा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये। यदि आवेदक द्वारा दिए गए विवरण देकर नहीं सम्पत्तियों को निबन्धित दस्तावेजों में दिखाया गया हो तो वैसे दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार ट्रन्जेक्शन इस प्रमाण पत्र में शामिल न किए जायेंगे।

(2) निबंधन अधिनियम की धारा 57 के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इन्डेक्स) को प्रविष्टियाँ देखना चाहते हों, अथवा जो इनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हो अथवा उन्हें विनिर्विष्ट संपत्तियों के अवधारों के प्रमाण पत्रों की जरूरत हो तो उन्हें स्वयं तलाषी करनी होगी।

विहित फीस की भुगतान करने पर बहियाँ और अनुक्रमणियों की उनके सामने रख दी जायगी।
(क) किन्तु चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक स्वयं तलाषी नहीं की है। इसलिए कार्यालय न अपेक्षित तलाषी अपने भूल तक सावधानी से की है विभाग प्रमाण पत्र में दिए गए तलाषी परिणाम को किसी भूल के लिए भी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

(ख) और चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाषी स्वयं की है और चूंकि उसके द्वारा दूढ़े गये संव्यवहार और अवधारों की सत्यापन के बाद प्रमाण पत्र में दिया गया है। इसलिए विभाग द्वारा दूढ़े गये ऐसे संव्यवहार और अवधारों को छूट के लिये किसी भी तरह जिम्मेवार न होगा जिसमें उक्त संपत्ति पर आभाव पड़ता हो।